FORM - III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सुरेन्द्र सिंह बनाम ताजप्रीत सिंह आदि
किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 10 सन 2024
जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/275

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.03.2024	प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत सिख निवासी 22 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 22 एच के खाता संख्या 54/52 व खाता संख्या 65/60 की भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे ।	
6/8/24	आज यह पत्रावली वादगत भूमि के संबंध में वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पेशी मे ली गई। कैवियटकर्ता अधिवक्ता को वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र मे सुना गया। लिहाजा अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	